Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।

पत्रांक– 1704 /33–1 / दिनांक, झांसी, दिसम्बर, 08, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– जनपद झांसी में झांसी–बबीना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 संख्या 03–11 तक झांसी–हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौडीकरण / चार–लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भ – 1. आपका पत्रांक– 1050 / 11–सी0–एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 39827 / 2019 दिनांक 27.11.2019।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक 1811 / 15–1, दिनांक 07.12.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव मे आपके संदर्भित पत्र दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना / अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा अपने पत्रांक 1811 / 15–1 दिनांक 07.12.2019 (प्रति संलग्न) से निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय में संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र से विषयक प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक
1811 / 15–1 दिनांक 07.12.2019
मूल तीन प्रतियों में।

भवदीय
(ए0के0सिंह) 8.12.19
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– 1704 /समदिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी; झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से भिज्ञ किसी अभियन्ता को इस कार्यालय से वांछित संशोधित सूचना प्राप्त कराकर मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय मे प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

09-12-19

(ए0के0सिंह)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

Dec_19_sttl

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1811 /15–1 दिनांक, झांसी, दिसम्बर, 07 2016

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के कि0मी0 संख्या–03 से 11 तक झांसी–हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/86/2018/एफ0सी0/361, दिनांक 17.10.2019 एवं अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण (भवन विंग) लो0नि0वि0, झांसी का पत्र संख्या–1263/वृक्ष/अनुमति/19, दिनांक 18.11.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1050/11–सी–एफ0सी0/यू0पी0/रोड/39827/2019, दिनांक 27.11.2019 एवं आपका पत्रांक–1613/33–1, दिनांक 29.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अपने संदर्भित पत्र से परीक्षण कर प्रकरण में विचारोपरान्त लगाई गयी आपत्तियों व कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर निर्धारित प्रारूप में 04 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति के साथ प्रेषित है।

Obseration	Obserations of Goi	Reply
(a)	A Proposal of a lane widening of NH-25 Jhansi-Lalitpur road-Babina road km 0 to 11.00 & felling of 1800 trees was submitted earlier vide online proposal no. 24768/2017 involving 20.35 ha. of Forest land. Now the fresh proposal submitted by the State Government vide online proposal no. 39827/2019 relates to 4 lane widening of Same road from km. to 11.00 involving 14.8 ha. & felling of 945 Trees. it is not clarified whether the earlier proposal stands withdrawn by the State Government or not?	पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव संख्या–24768/2017 द्वारा 20.35 हे0 भूमि पर अनापत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें सेना की भूमि भी सम्मिलित थी, लेकिन सेना द्वारा उक्त कि0मी0 (0–3) पर अनापत्ति निर्गत न हो पाने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन विड्रा कर लिया गया था। तत्पश्चात संशोधित प्रस्ताव बनाकर ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–39827/2019 द्वारा 8 कि0मी0 के लिये 14.8 हे0 भूमि हेतु प्रेषित किया गया है।
B(i)	It is also not clarified :- why the original proposal has been modified or why a new proposal has been submitted.	परियोजना में मार्ग की कुल लम्बाई 1 से 11 (कुल 11 कि0मी0) प्रस्तावित थी, जिसमें सेना के आधिपत्य वाले 03 कि0मी0 (0–3 कि0मी0) भाग को अलग करते हुये सिर्फ 08 कि0मी0 की लम्बाई का नवीन प्रस्ताव अनापत्ति हेतु प्रेषित किया गया है।
(ii)	What will be the outcome if NOC of Ministry of Defence is not obtained/issued and what is the alternative available for the user agency to complete the project and how does it affect the viability of the project.	यदि मिनिष्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अनापत्ति निर्गत नहीं हो पाती है, तो ऐसी दशा में 4 लेन में मीडियन की चौड़ाई को कम करके परियोजना को पूर्ण किया जायेगा।
C.	The Forest offence has been compounded after taking compensation but calculation of Penal NPV payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29.01.2019 is not correct as not been calculated for each year of violation. This needs rectification.	भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाईन एफ0एन0–11–42/2017/एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 में उल्लिखित बिन्दु बी, i, ii, iii & iv के सम्बन्ध में आख्या निम्नानुसार है :– (i). 1–प्रस्तावित वन भूमि – 1.02 हे0 2–उल्लघंन की अवधि – 3 वर्ष 3–एन0पी0वी0 की दर – 626000 4–एन0पी0वी0 की धनराशि = 1.02X626000 = 638520 5–3 गुना एन0पी0वी0 = 3X638520 = 1915560

		उक्त धनराशि का प्रति वर्ष 12% की दर से साधारण ब्याज वर्ष 2017–18 का साधारण ब्याज = $\frac{1915560X12X1}{100}$ = 229867.20 वर्ष 2018–19 का साधारण ब्याज = $\frac{1915560X12X1}{100}$ = 229867.20 वर्ष 2019–20 का साधारण ब्याज = $\frac{1915560X12X1}{100}$ = 229867.20 तीन वर्ष का कुल ब्याज = 689601.60 अथवा = 689602.00 कुल दण्डात्मक एन0पी0वी0 = (1915560+689602) = 2605162 **(ii)**.Being public utility project of government देय दण्डात्मक एन0पी0वी0=उक्त एन0पी0वी0 का 20% = 2605162X20% = 521032.40 अथवा = 521032 अतः देय कुल दण्डात्मक धनराशि 521032/– (पांच लाख इक्कीस हजार बत्तीस रू0 मात्र) **(iii)**.When User agency started the work it was stopped immediately by the Range officer jhansi and legal action was taken. **(iv)**.Range case no-30/2016-17 issued against user agency and notice issued to Shri Nirdosh Kumar Suman, Executive Engineer, Nirman Khand (Bhavan wing) PWD, Jhansi.
D.	In Area calculation sheet, uniform width of proposed widening has been taken. It is not clear whether extra width is required at cuiverts, bridges etc. and to what extent requirement of Forest area increases in that case.	एरिया का क्रांस सेक्शन मैप लगा दिया गया है और अतिरिक्त चौड़ाई की कोई मांग नहीं की गई है। कोई भी अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। पुल एवं पुलिया के लिये उपलब्ध भूमि में ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

नोटः– अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण (भवन विंग) लो0नि0वि0, झांसी का पत्र संख्या–1263/वृक्ष/अनुमति/19, दिनांक 18.11.2019 पूर्व प्रेषित है।

भवदीय

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 1811 **/अ/समदिनांक**

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–1050/11C-FP/UP/Road/39827, दिनांक 27.11.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण (भवन विंग) लो0नि0वि0, झांसी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

व0व0सं0
2/12/19

CF Letter's_Van